

EO 60/01/2019/1F  
29/8/19

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

[भर्ती प्रकोष्ठ]

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-27/2019-स्था. (भर्ती)

No.F.2-27/2019-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

Ansari Nagar, New Delhi-29

दिनांक/Dated :

28 AUG 2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में महाप्रबंधक (कैंटीन) के पद पर पदोन्नति।

Subject:- Promotion to the post of GENERAL MANAGER (CANTEEN) at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 13.08.2019 को महाप्रबंधक (कैंटीन) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, श्री के. के. शर्मा, उप-महाप्रबंधक (कैंटीन) को पे मेट्रिक्स के लेवल-6 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु.9300-34800 + रु.4200/- ग्रेड पे) में महाप्रबंधक (कैंटीन) के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है। हालाँकि, उनकी वरिष्ठता महाप्रबंधक (कैंटीन) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात् 13.08.2019 से प्रभावी होगी

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 13<sup>th</sup> August, 2019 and its acceptance by the Competent Authority, Sh. K.K. SHARMA, Deputy General Manager (Canteen) is promoted to the post of General Manager (Canteen) in the Level-6 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4200/-) from the date he assumes the charge of the post of General Manager (Canteen). However, his seniority in the post of General Manager (Canteen) will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 13.08.2019.

वह महाप्रबंधक (कैंटीन) का पदभार ग्रहण करने की तिथि से दिल्ली/नई दिल्ली/ बड़सा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद /एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत करचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भर्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabharh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date he assumes the charges to the post of General Manager (Canteen).

Mr. P. Kumar  
for n/a pls  
29/8/19  
Mr. Aman  
29/8/19

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22(I) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he has not been granted financial upgradation under ACP/MACP Scheme.

**महाप्रबंधक (कैंटीन)** के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है ।

The offer of promotion to the post of **General Manager (Canteen)** is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे । परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी ।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी ।

Other terms and conditions of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

  
[भूपिंदर सिंह गिल / BHUPINDER SINGH GILL]  
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री के. के शर्मा/ Sh.K. K.Sharma,

उप-महाप्रबंधक (कैंटीन)/Deputy General Manager (Cafeteria)

द्वारा: अध्यक्ष, कैफेटेरिया कमेटी/Through:- Chairman, Cafeteria Committee

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) स्थापना अनुभाग- नि.का/Establishment Section – D.O.
- 2) लेखा अनुभाग-II एवं III /Accounts Section II & III
- 3) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ  
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
- 4) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ / संरक्षण मिसिल  
ACR's Cell / SC/ST Cell/Guard File
- 5) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें  
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

